डीजी–परिपत्र संख्या–36 /2021

मुकुल गोयल,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊ: सितम्बर 23, 2021

विषयः– मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित पी0आई0एल0 संख्याः 509/2020 महेन्द्र प्रताप सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 16–09–2021 के अनुपालन में विवेचनाओं में गुणात्मक सुधार के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

महिलाओं एवं बच्चियों के प्रति कारित अपराधों में विशेषकर बलात्कार/बलात्कार सहित हत्या जैसे जघन्य अपराध जिससे समाज एवं न्याय व्यवस्था का विद्रूपित स्वरूप प्रकट होता है साथ ही कानून व्यवस्था की भी गम्भीर समस्या उत्पन्न होती है। विवेचनाओं की गुणवत्ता बढ़ाने एवं इसमें वैज्ञानिक विधियों का समावेश करने हेतु मुख्यालय स्तर से पूर्व में पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत किये गये हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यालय स्तर से निर्गत परिपत्रों का आपके स्तर से पालन नही किया/कराया जा रहा है। विवेचना में जहां एक ओर घटना के सफल अनावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी ओर जन सामान्य में पुलिस की छवि धूमिल होती है।

डीजी परिपत्र–22/2020	दिनांक 07.06.2020
डीजी परिपत्र–35/2018	दिनांक 05.07.2018
डीजी परिपत्र–16/2018	दिनांक 24.04.2018
डीजी परिपत्र–17/2017	दिनांक 18.07.2017
डीजी परिपत्र–20/2016	दिनांक 13.04.2016
डीजी परिपत्र–62/2015	दिनांक 27.08.2015
डीजी परिपत्र–45/2015	दिनांक 15.06.2015
डीजी परिपत्र–44/2015	दिनांक 15.06.2015
डीजी परिपत्र–04/2015	दिनांक 14.01.2015
डीजी परिपत्र–38/2014	दिनांक 07.06.2014
डीजी परिपत्र–41/2013	दिनांक 01.08.2013
डीजी परिपत्र–16/2013	दिनांक 29.04.2013
डीजी परिपत्र–13/2013	दिनांक 17.04.2013
डीजी परिपत्र–03/2013	दिनांक 17.01.2013

विवेचना त्रुटिपूर्ण होने पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में विवेचक द्वारा की गई लापरवाही का दृष्टांत देते हुये असंतोष व्यक्त करते हुये यह निर्देश दिये गये है कि विवेचना, जो विवेचकों द्वारा की जाये वह समयबद्ध, त्रुटिहीन एवं तथ्यपरक हो तथा उसमें वैज्ञानिक विधियों का भी समावेश अवश्य किया जाये । इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित पी0आई0एल0 संख्याः 509/2020 महेन्द्र प्रताप सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 16–09–2021 के संगत अंश निम्नवत् है :–

"Since Section 173 (2) Cr.P.C. mandates completion of investigation within time frame, the D.G.P. is directed to find out whether necessary order has been issued by the State Government to direct the investigating officers for compliance of the provisions, as amended.

If circular/direction has been issued till date, then Immediately an order be issued. Delay in the investigation in such cases should be made subject or explanation otherwise delay without any reason should invite action against the defaulting officers. The provision of Section 173 Cr.P.C., as amended, should not be taken casually rather seriousness should be attached. The Government is directed to take action against the defaulting officers, if cause delay in investigation of the offence under Section 173 Cr.P.C. If the investigating officers are not efficient then in future they should not be assigned investigation of the case. It is further directed that in the investigation, all scientific methods should be applied because defective investigation or investigation without collection of proper evidence, results in acquittal and therefore only the conviction rate is only 6 to 7%.

We direct the police administration to not only monitor the investigation but guide the investigating officers to apply the scientific methods for investigation and for that periodically training program should be arranged. At the end, we further direct that not only the investigating officer but the officers who supervise the investigation should be made responsible if any defect is found in the investigation."

दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 173(1ए) को निम्नवत् संशोधित किया गया है–

1. Section 173(1A)- "The investigation in relation to an offence in under section 376,376A,376AB, 376B, 376C, 376D,376DA,376DB or 376E of the Indian Penal Code(45 of 1860) shall be completed with in two months from the date on which the information was recorded by the officer in charge of the police station."

अपराध विधि(संशोधन) अध्यादेश 2018 के प्राविधानों के अनुपालन हेतु डीजी परिपत्र संख्या–35/2018 दिनांक 05.7.2018 के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये थे। उपरोक्त संशोधन प्रभावी होने के कारण बलात्कार से सम्बन्धित कतिपय मामलों में विवेचना 02 माह में पूरा किया जाना आज्ञापक हो गया है। अतः दण्ड प्रकिया संहिता में किये गये उपरोक्त संशोधन को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु निर्देश निम्नवत् हैः–

- इस प्रकार के अपराध घटित होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट शीघ्र पंजीकृत कराकर समयबद्ध ढंग से अधिकतम 02 माह के भीतर विवेचना को पूर्ण कराकर आरोप पत्र मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करायेंगें।
- अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र तथा उस पर सुनवाई की तिथि की सूचना पीड़िता अथवा परिवादी को उपलब्ध करायी जाय।
- अपराधों की गुणवत्तापूर्ण विवेचना सुनिश्चित कराते हुए अधिकाधिक वैज्ञानिक साक्ष्यों को संकलित करायेंगे।
- प्रदर्शों को अधिकतम 02 दिवस के अन्दर परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्राप्त कराया जायेगा तथा प्रदर्श प्राप्त कराये जाने की तिथि से 15 दिवस के भीतर आख्या प्राप्त कर निर्धारित अवधि में विवेचना पूर्ण की जायेगी। विचारण के दौरान प्रत्येक नियत तिथि पर साक्षीगण की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।
- न्यायालय द्वारा निर्गत प्रासेस का तामीला प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय जिससे तामीला न होने के आधार पर स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न न हो।
- दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश 2018 के प्राविधानानुसार अपराधों की विवेचना, अभियोगों का परीक्षण निर्धारित समय सीगा के अन्तर्गत शीघ्रता से पूर्ण कराया जाय।
- जनपद में नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों, जनपदीय संयुक्त निदेशक अभियोजन, थाना प्रभारियों/थानाध्यक्षों तथा विवेचकों की जनपदीय कार्यशाला का आयोजन करेंगें जिसमें मा0 न्यायालय के निर्देशों को अक्षरशः पालन किये जाने के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करायेगे।

मै स्पष्ट करना चाहूँगा कि मा0 उच्च न्यायालय की अपेक्षानुसार आप अपने निकट पर्यवेक्षण में समस्त विवेचकों को निर्देशित करें कि मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे। विवेचना में किसी भी स्तर से लापरवाही परिलक्षित न हो, विवेचना में लापरवाही बरतने वाले विवेचकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करें। इन निर्देशों के पूर्व इस विषय पर निर्गत परिपत्रों द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में विवेचकों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ समय–समय पर कार्यशाला का आयोजन करते रहें, ताकि विवेचना में गुणात्मक सुधार परिलक्षित हो।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में विवेचना करते समय यह अवश्य ध्यान रखा जाये कि कोई सारवान साक्ष्य छूट तो नही गया है तथा समस्त वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाय। यदि आवश्यक हो तो वैज्ञानिक विधियों के विशेषज्ञों की राय अवश्य ली जाये, जिससे विवेचना में कोई भी कमी न रहे तथा अपराधी को मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित कराया जा सके। भविष्य में यदि विवेचना में लापरवाही का कोई दृष्टान्त संज्ञान में आता है तो विवेचनाधिकारी के साथ–साथ सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी का दायित्व निर्धारण करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(मुकुल गोयल)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक,प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश लखनऊ।